कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.comPhone/Fax-2767611

पत्रांकः– 1642 /FP/UK/OTHERS/21599/2016दिनॉकः देहरादून 07 जनवरी, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , 25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत शहीद मोहननाथ गोस्वामी मेमोरियल, मिनी स्टेडियम, लालकुआँ के निर्माण कार्य हेतु 4.9962 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक–8बी./यू.सी.पी./09/60/2021/एफ0सी0/1413 दिनाँक–12.01.2022।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS** दिनांक 12–01–2022 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक 1114/12–1 दिनांक 31.12.2022 के द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र.सं.	आपत्ति	उत्तरालेख
1	बिन्दु संख्या–01,02 एवं 03 को संज्ञान में लेते हुये यह ज्ञात होता है कि विभिन्न निर्माण अनुसार कार्यो हेतु लिया गया क्षेत्रफल (area), वन भूमि के प्रत्यावर्तन की प्राथमिक शर्त जिसके अनुसार 'minimum area requirement' हेतु प्रत्यावर्तन किया जाना चाहिये की पूर्ति नहीं करता है। सभी प्रस्तावित components हेतु चाहा गया क्षेत्र अत्यधिक जान पड़ता है इसके अतिरिक्त 30-40% क्षेत्र प्रत्येक components के साथ अतिरिक्त लिया गया हैं तथा कुल क्षेत्रफल में पुनः 10% भी अतिरिक्त लिया गया है जो कि औचित्यपूर्ण नहीं है।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम खेल इकाई (निर्माण शाखा) उत्तराखण्ड देहरादून के मानकों के अनुरूप साइट प्लान तैयार किया गया है, जो कि प्रति वर्ष 10–11 खेल विधाओं में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हेतु आवश्यक है। उक्त भूमि पर 200मी0 का रनिंग ट्रैक के अलावा बॉलीबाल कोर्ट, खो–खो कोर्ट, कबड्डी, कुश्ती पिच आदि का निर्माण किया जायेगा एवं साथ ही अन्य निर्माण कार्य किये जायेंगे–जैसे प्रशासकीय ब्लॉक, मल्टीपरपज हॉल, पम्प हाउस व जेनेरेटर रूम, बाउड्रीवाल, पवेलियन, इण्डोर गेम हॉल, चेन्जिंग रूम, गार्ड रूम, स्टोर रूम, बाथरूम, पेयजल व्यवस्था अन्य सम्बन्धित निर्माण कार्य होंगे, जिस हेतु अतिरिक्त भूमि की आवष्यकता है।
2	मिनी स्टेडियम हेतु राज्य सरकार द्वारा स्टैन्डर्ड डिजाइन प्रस्तुत नहीं किया गया है। पूर्व में प्रस्ताव क्रम (FP/UK/OTHRRS/50039/2020) sports Stadium 1.5 है0 क्षे0 का अनुमोदन किया गया है। अतः प्रस्तुत उत्तर मान्य नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र 4.9962है0 दर्शाया गया है, जो अत्यधिक है।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार सम्बन्धित आपत्ति के निराकरण हेतु विस्तृत आख्या/साइट प्लान ऑनलाइन Part 01- Additional Information में अपलोड कर दिया गया है। परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम खेल इकाई (निर्माण शाखा) उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय द्वारा बनाया गया Standard Design पूर्व में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही अवगत कराया गया है कि 1.5 है0 के अतिरिक्त अन्य खेल सुविधाओं के विकास हेतु 4.9962 है0 भूमि का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है। जिन्हें ऑनलाईन Part-1, Additional

		Information में अपलोड कर दिया गया है।
3	साथ ही समीप एक अन्य खेल मैदान उपस्थित है। अतः नये क्षेत्र में 365 वृक्षों के पातन उपरान्त एक अतिरिक्त स्टेडियम का निर्माण मान्य नहीं है। अतः अनुरोध है कि पूर्व स्थित खेल मैदान पर ही standerd desine के अनुसार खेल स्टेडियम निमार्ण का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार उक्त प्रस्तावित भूमि के आस–पास कोई भी अन्य खेल मैदान नहीं हैं। साथ ही आपत्ति के निराकरण हेतु विस्तृत आख्या/संयुक्त रिपोर्ट Part-1, Additional Information में अपलोड कर दी गयी है एवं अवगत कराया गया है कि विभाग यह प्रयास करेगा कि उक्त स्टेरिडयम निर्माण में कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा, एवं विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण विषयक प्रमाण–पत्र भी अपलोड किया है। प्रस्तावित भूमि के उत्तर में ITBP बाउन्ड्री वाल (वन भूमि हस्तान्तरित) दक्षिण में वन विकास निगम का प्रकाष्ठ डिपो भण्डारण हेतु पूरब में ITBP बिन्दुखत्ता सम्पर्क मार्ग, पश्चिम में इण्डियन ऑयल डिपो से लालकुआं 25 एकड़ मार्ग तथा आवासीय प्रयोजन हेतु सेंचुरी पेपर मिल को लीज पर दी गयी वन भूमि है।
4	बिन्दु संख्या 08 के सापेक्ष उपयुक्तता प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं है कि CA क्षेत्र का निरीक्षण प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया गया है अथवा नहीं कृपया प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किये निरीक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त यह पुष्टि करें प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व 0.4 से कम है तथा क्षेत्र में विघमान वृक्षों का गणना पत्रक भी प्रस्तुत करें।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया गया तथा अपनी पत्र सं0–1096/12–1–2 बागेश्वर दिनांक 27.09.2022 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग की निरीक्षण आख्या Parivesh portal में Part-1, Additional Information में upload कर दी गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव विभाग के अनुरोध के दृष्टिगतप्रकरण पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या 1642 /FP/UK/OTHERS/21599/2016तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक 1114/12–1 दिनांक 31.12.2021 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

07/01/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,